उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 102/2023
मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रॉच राँची बनाम् डोली सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

26/12/23

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रॉच राँची द्वारा Under Section–14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act -2002 के तहत् ऋणकर्त्ता श्रीमती डोली सिंह, पति–स्व० चन्द्र शेखर सिंह, ग्राम–चटनिया बस्ती मंडई टॉड, (नियर देवी मंडप) पानी प्लान्ट, डटमा मोर, कुजू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि निबंधन केवाला संख्या–4875, दिनांक–31.03.2000 से हासिल भूमि मौजा–कुजू थाना न०–154 थाना–माण्डू खाता न०–110 प्लॉट न०–1699 रकवा–4.00 डिसमील चौहद्दी उ०–रास्ता, द०–स्कूल, पु०–उमा शंकर सिंह, प०–कृष्णा सिंह एवं देवंती देवी तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विपक्षी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दायर किया गया है। जिसमे कहा गया है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और मेरा आय का कोई जरिया नहीं है। अतः मैं ऋण नहीं चुका पाउँगी। इसलिए मेरा जमीन बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिया जाए। मुझे किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Under Sub-Section (2) of Section-13 of the SARFAESI Act-2002 के तहत् बैंक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। एवं बैंक के द्वारा ई–नीलामी बिक्रय सूचना प्रकाशन के फलस्वरूप Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 की धारा–14 के तहत् ऋणकर्त्ता से संबंधित सम्पति पर दखल कब्जा हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया है। जो विधिवत् एवं न्याय–संगत है। बैंक द्वारा दखल–कब्जा के संबंध में किया गया अनुरोध स्वीकार करने योग्य तथा विधि–संगत है।

निष्कर्ष :–

U/s -14 of the SARFAESI Act-2002 के तहत् मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रॉच राँची से प्राप्त आवेदन, विपक्षी द्वारा दिया गया आवेदन तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना। स्पष्ट है कि :–

1 प्रतिभूत लेनदार (Secured Creditor) बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिनांक–29.08.2018 को ऋणकर्ता को SARFAESI Act-2002 के धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के पारा (4) में उल्लेखित है कि ऋणकर्ता के संबंधित खाताओं को दिनांक–29.06.2018 को Non Performing Asset घोषित किया गया है।

ऋणकर्ता के द्वारा इन तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया गया है।

2 SARFAESI Act-2002 के धारा 13(2) तथा धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों, नियमों इत्यादि की विवेचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Maradia Chemical Ltd. vs. Union of India, AIR 2004 SC 2371, M/s Transcore vs. UOI & Anr, SC 3228/2006 इत्यादि में की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, बाम्बे द्वारा इन नियमों को M/s Tradewell Proprietorship & Ors vs. Indian Bank & Anr, W.P.(Cr) 2767/2006 में संक्षेपित किया गया है।

> "He [i.e. CMM/DM] has to only verify from the bank or Financial Instituation whether notice under section 13(2) of the NPA Act [i.e. SARFAESI ACT] is given or not and whether the secured assets fall within his jurisdication. There is no adjudication of any kind at that stage. It is only if the above conditions are not fulfilled that the CMM/DM can refuse to pass an order under Section 14 of the NPA Act by recording that the above conditions are not fulfilled. If thers two conditions are fulfilled, he cannot refuse to pass an order under Section 14."

आदेश :–

विपक्षी से प्राप्त आवेदन एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के प्राप्त मन्तव्य से सहमत होते हुए सरफेसी एक्ट–2002 की धारा–14(1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत् मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रॉच राँची के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (निबंधन केवाला संख्या–4875, दिनांक–31.03.2000 से हासिल भूमि मौजा–कुजू थाना न०–154 थाना–माण्डू खाता न०–110 प्लॉट न०–1699 रकवा–4.00 डिसमील चौहद्दी उ०–रास्ता, द०–स्कूल, पु०–उमा शंकर सिंह, प०–कृष्णा सिंह एवं देवंती देवी को जप्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रॉच राँची

को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि–व्यंवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 26/12/23
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chandan 26/12/23
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 12:31:02 +05:30
Location: 192.168.0.37